Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Question of Privilege.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा था कि 'जीरो ऑवर' से पहले मैं अपनी बात रख दूं। एक सांसद के रूप में कल मेरे विशेषाधिकार का और सदन की मर्यादा का जो हनन हुआ है, उसके तहत मैंने नियम संख्या-223 के तहत आपको एक नोटिस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस नोटिस को स्वीकार करेंगे। पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक संसद सदस्य आज्ञा दे रहा है कि आप सब मौन धारण के लिए खड़े हो जाइए और कुछ सदस्य मौन धारण भी कर लेते हैं। इन सबके खिलाफ लोक सभा को कार्रवाई करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए। ये नोटिस पर बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मैंने 'Kaul and Shakdher' की सारी प्रतियां देखीं, सारी किताबें देखीं, केवल एक जगह मुझे 'The Contempt of Parliament' मिलता है। कान्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में -What is there in 'the Contempt of Parliament'? It says: "Speeches or writings reflecting on the House, its Committees or Members." Then, it says: "reflections on the character or impartiality of the Speaker in discharge of his duties." इससे आगे कोई किताब 'Kaul and Shakdher' की सोच भी नहीं पाती है कि इसके अलावा भी कुछ घटना हो सकती है। यह पहली बार हुआ कि एक संसद सदस्य हमें आदेश देता है कि आप मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाइए और कुछ संसद सदस्य खड़े भी हो जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार एक सांसद राहुल गांधी ने खड़ा होने का आदेश दिया और जो भी सांसद खड़े हुए, उन सभी पर मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। उन्होंने इस संसद की गरिमा का अपमान

किया है, इस लोक सभा का अपमान किया है। इसलिए, मुझे विश्वास है कि आप इसको विशेषाधिकार समिति में भेजकर उन सभी पर कार्रवाई करने के मेरे अनुरोध को जरूर स्वीकार करेंगे।

माननीय सभापति: और कोई मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मेरा अपना अनुभव है कि इस सदन में जो सदस्य पहली बार भी चुनकर आता है, वह भी इस बात को जानता है कि यह सदन परम्पराओं और नियमों से चलता है। लेकिन कोई चार बार चुनकर आया हुआ **...*** सांसद अगर इस बात को नहीं जानता है, तो यह इस सदन की गलती नहीं है। वह नहीं जानता है, चलेगा। हमें इसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अपनी अनभिज्ञता के कारण वह सदन की परंपराओं को, सदन के नियमों को ठोकर मारे, यह सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा।... (व्यवधान)

महोदय, कल 11 फरवरी को जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी के नेता और चार बार के सांसद राहुल गांधी जी ने लोक सभा में जो असंसदीय आचरण किया है, उसने इस देश के प्राचीनतम लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है।...(व्यवधान) लोक सभा के अध्यक्ष महोदय चेयर पर थे। उनकी अनुमति लिए बगैर दो मिनट का मौन और सीधे आदेशित करना, यह विचार प्रवाह को...(**व्यवधान**)

माननीय सभापति : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, यह संसदीय विचार प्रवाह को स्तब्ध करने वाली घटना है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह सदन को कलंकित करने

वाली घटना है। यदि राहुल गांधी जी, कोई मौन चाहते थे, तो उसके लिए उनको अनुमति लेनी चाहिए थी।...(व्यवधान) उनको कार्रवाई का आग्रह करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के युवराज को प्रक्रिया और नियमों को निभाना उनके वंशानुगत राज के सामने बहुत बौना लगता है। लेकिन यह सदन कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, जिसे वह अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चलाएंगे।...(व्यवधान) यह परंपराओं से चलेगा, यह व्यवस्था से चलेगा, यह नियमों से चलेगा। यह घटना असंवैधानिक है, अनुचित है, विशेषाधिकार और सदन की अवमानना के अंतर्गत आती है। हमने पिछले कई अवसरों पर देखा है कि संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का ...* करना राहुल गांधी जी का स्वभाव बन गया है। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर काम करना उनको ठीक नहीं लगता है। हम देखते हैं कि जब भी वह सदन के भीतर आते हैं, किसी भी विषय पर संवाद करते हैं, तो वह संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। न तो उनकी बातों का कोई साक्ष्य होता है, न उनकी बातों के पीछे कोई आधार होता है। लेकिन ...* की बुनियाद पर वह अपनी बात को सदन के भीतर रखते हैं और वह चाहते हैं कि उस ...* की बुनियाद को पूरा देश माने। लेकिन देश को भ्रमित करने का, देश को तोड़ने का, देश को कलंकित करने का, देश को नीचा दिखाने का, राहुल गांधी जी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं।

महोदय, इसीलिए मैं इस सदन में यह मांग करता हूं कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और उसके साथ सदन की अवमानना की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी लोगों को एक प्रेरणा मिले कि सदन के भीतर अगर असंसदीय आचरण होगा, तो वह स्वीकार नहीं होगा, वह बर्दाश्त के बाहर होगा।

माननीय सभापति : श्री पी. पी. चौधरी जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। आपने नोटिस नहीं दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : पाल साहब, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : महोदय, किसी मेंबर को सिंगुलर में एड्रेस नहीं करना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कोई भी असंसदीय शब्द होगा, तो वह डिलीट कर दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। उसकी चिंता आसन से हो जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : चौधरी साहब, आप बोलिए। केवल आपकी बात रिकार्ड में जाएगी और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान के तहत जब यह सदन गठित हुआ था, तब पूरे हाउस ने

सर्वसम्मति से माननीय अध्यक्ष महोदय को चुना था। उसके बाद सर्वसम्मति से सभी सभापति महोदय चुने गए हैं। लेकिन कल इस सदन के अंदर जो घटना घटी थी, ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय चेयर पर विराजे हुए थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, जैसा कि अभी मेरे मित्रों ने कहा है कि वह चार बार से लोक सभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को खड़ा होने के लिए कहा और उनसे मौन रखवाया। भारत के संविधान के तहत स्पीकर महोदय और सभापति महोदय को ही यह अधिकार है। उनको यह अधिकार नहीं था।

यह इतना ग्रॉस मिसकंडक्ट है, यह सीरियस कंटेम्प्ट है। यह हाउस का सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उनका हाउस के प्रति डेरोगेटरी एटिट्यूड था। यही नहीं, हाउस के जो प्रिसिंपल्स हैं, हाउस को चलाने की जो प्रैक्टिस है, उन स्टैण्डर्ड्स के साथ इनकंसिस्टेंट था, जो हम हर मैम्बर से एक्सपेक्ट करते हैं। यह हाउस की प्रोसिडिंग को रोकने का काम था। उनका इस तरह का कंडक्ट था कि उन्होंने हाउस की प्रोसिडिंग को रोका, उसे इम्पीड किया। यह डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा अटैक है। उन्होंने पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशन को अडंरमाइन करने का कृत्य किया है। पॉर्लियामेंट की अथॉरिटी को इग्नोर करने का काम किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो चार बार के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हें भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के तहत स्पीकर चुने जाते हैं और यह उनका काम होता है, लेकिन उन्होंने स्पीकर का काम करने का बिहेव किया इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह हाउस का सीरियस कंटेम्प्ट है। यह सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।